जे. जोस धनपाल

बनाम

एस. थॉमस और अन्य

16 फरवरी, 1996

[के. रामास्वामी और जी.बी. पटनायक, न्यायमूर्तिगण]

सेवा कानून:

नियुक्ति- न्यायाधिकरण द्वारा उस व्यक्ति को एक पक्षकार के रूप में अभियोजित किए बिना उसकी नियुक्ति रद्द की गई- उस व्यक्ति के संबंध में आदेश अपास्त किया गया- न्यायाधिकरण ने कानून की गंभीर त्रुटि की- रीति और प्रक्रिया।

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1996 की दीवानी अपील संख्या 3610

मद्रास स्थित तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण के 1992 के ओ.ए. संख्या 2199 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 15.06.1993 से।

अपीलकर्ता के लिए डॉ. ए.एफ. जूलियन और ए. मरिअरपुथम।

उत्तरदाताओं के लिए के.आर. नागराज।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया :

विशेष अनुमति प्रदान की जाती है।

हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

यह प्रतीत होता है कि प्रथम उत्तरदाता की नियुक्ति को आर.सी. संख्या 727/93 में कार्यवाहियों दिनांक 1 दिसम्बर, 1995 द्वारा रद्द कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, प्रथम उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता श्री नागराज यह कथन करते हैं कि उनके मुवक्किल ने इस मामले में रुचि खो दी है क्योंकि एक नया वादहेतुक उत्पन्न हो गया है। वह इस मामले में मुकदमानी का विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके मुवक्किल के लिए कानून के अधीन वांछित कार्रवाई करना खुला होगा।

यह विवाद में नहीं है कि अपीलकर्ता मद्रास स्थित तमिलनाडु प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा ओ.ए. संख्या 2199/92 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 15 जून, 1993 में एक पक्षकार नहीं था। बिना पक्षकार बनाए, विवादित आदेश के ज़रिए थॉमस की नियुक्ति रद्द कर दी गई। इसलिए, न्यायाधिकरण ने उस व्यक्ति को एक पक्षकार के रूप में अभियोजित किए बिना उसकी नियुक्ति को रद्द करने में कानून की गंभीर त्रुटि की है। आक्षेपित आदेश को अपीलकर्ता के संबंध में अपास्त किया जाता है।

तदनुसार, अपील स्वीकार की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.एन. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।